

नम्बर
अहकाम
हुकम
में

व्यापक पत्रावली हेरीलाल

हुकम या कार्यवाहीमदें इनिशियल्स जज

दाल

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

वकील फरीकेन उपर पुराडुलार के द्वारा लकीन
तलब होकर दिनांक 20/11/16 को पेश हो। ५८

20/16 वकील फरीकेन उपर पुराडुलार के द्वारा लकीन
तलब होकर दिनांक 6/11/16 को पेश हो। ५८

6/16 वकील फरीकेन उपर पुराडुलार के द्वारा लकीन
तलब होकर दिनांक 9/11/16 को पेश हो। ५८

3/16 पत्रावली आज राजस्थ लोक अदालत अजमेर 28/16
में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं है। पत्रावली
पूर्वानुसार दि. 24/11/16 को पेश हो। ५८

21/16 वकील फरीकेन उपर पुराडुलार के द्वारा लकीन
तलब होकर पत्रावली दिनांक 12/11/16 को पेश हो। ५८

12/16 वकील फरीकेन उपर 300 साहब अवकाश/दौर पर
पेश है। पूर्वानुसार दिनांक 12/11/16 को पेश हो। ५८

12/16 वकील फरीकेन उपर पुराडुलार के द्वारा लकीन
तलब होकर तहसीलदार सपोरिया को
लगाए जाये होकर पत्रावली दिनांक
23/3/17 को पेश हो। ५८

23/16 वकील फरीकेन उपर पुराडुलार के द्वारा लकीन
तलब होकर पत्रावली दि. 18/11/16 को
पेश हो। ५८

26/16 पत्रावली आज राजस्थ लोक अदालत अजमेर
20/11 में पेश हुई। वकील उपर है। तहसीलदार सपोरिया
के द्वारा लकीन तलब हुई। अदालत अजमेर
वकीलानी हुतादि के द्वारा लकीन दाला वकीलानी
मार्शल डिप्टी डिमार्शन को लता है। दाला वकीलानी
मार्शल डिप्टी डिमार्शन को लता है। विस्तृत विवरण मद्रास से लिखा
जाये 9/11/16 को पत्रावली पेश हो। सुनार लकीन (न.क.ल.क.क.) ५८

UP
153
10/11/16

हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए।

जमानालम उप जिला कलेक्टर सपोटरा जिला करौली
पीठाधीन अधिकारी - मुन्नी मीना RAS उप जिला कलेक्टर सपोटरा

क्र.सं. दिनांक तारीख डायरी नं./म
15/10 दहा 10/5/10 20.9.12

काष्ठा] पिठ बड़ी जातिगण मीना निठ करणपुर (डांडा) तठ
दपोटरा जिठ करौली (राजठ) - वाडीगण

बलाग

- 1) होरीलाल] पिठ मोरगा जातिगण मीना जिठ करणपुर (डांडा)
- 2) गिल्ले] तठ सपोटरा जिठ करौली
- 3) कल्लो पुत्री हनुआ पहिन चन्डूली मीना जिठ पांचोसी तठ
मंडराफल जिठ करौली
- 4) रेसे पुत्री हनुआ पहिन रामफल मीना जिठ कलेड तठ सपोटरा
जिठ करौली
- 5) लंड होल्लज जसिमे तठ सीठडार तठ सपोटरा जिठ करौली
(राजठ)

- प्रतिवाडीगण

दसा बाबत बोधारा व हपामी निबोधारा

अप्रतिमतः - श्री राजादस मीना वकील वाडीगण
व लखन लाल मीना वकील प्रतिवाडीगण

संशोध के बांड तथ्यवादीगण इस ज्वाड ले हे हे
शुभ करणपुर उपर तसील करणपुर तसील सपोटरा के ख. नं.
426, 427, 637/2, 649, 652, 706, 707, 708, 709, 710/2,
711, 856, 857, 864, तथा ख. नं. शुभ कपुर खेडा अतरठ करणपुर
के ख. नं. 8/2, 7/2 मीना तथा प्रतिवाडीगण संभूत खोटेदयी खं
कल्ला काइत की हे जिनमें वाडीगण का हिल्ला 1/4 रथ प्रतिवाडीगं ।
व 2 का 1/4 रथ प्रतिवाडीगं नं. 3/4 का हिल्ला 1/4 हे इली अठुगार
तम फरीकित काइत कर प्रविर्त कल्ला का लाल जात करते चले
आ रहे हे । अक प्रतिवाडीगण के मन में बरयल्लि आगई हे । अतिरिक्त
आराजीमत हे खेडल करत कर आगता हे प्रतिवाडीगण के ललाअक
संभुयत रूप से काइत करना संभव नही हे । अतिरिक्त 20/4/10 को
वाडीगण विचारित आराजीमत की साफल्य कर रहे हे अतिरिक्त 10
2 ने अक एलानिया अमकी डी कि इन खेडोया काइत करना बंड
कर डो, इन खेडो को डिबी लरठ वापे अतिरिक्त के चक्या अतिरिक्त
करायेगे । प्रतिवाडीगण को देखते हे पूर्व बंडक्या करत की कलाता
साफ ईकार हे अमे । अतिरिक्त वाडीगण ने वाहनो बंधारा अठुला


उप जिला कलेक्टर
सपोटरा जिला - करौली

रवाता के लक्षण से फोटो कर संस्कार दिने जाने का एक प्रतिबन्धीय
को जसिमे हमारी निवेद्याडा ले वापस करने का निर्देश किया है।

डादा वाडीगण कर्न राजिन्धर क्वर तलकी प्रतिबन्धीय
अपने सम्पत्त की गरी प्रविचारी नं. 3 तथा 4 वापस संभनतानील
उपस्थित न्यायालय नहीं प्रामे इसलिए इसके खिलाफ एवम कीम
कार्यवाही के आदेश दिये गये प्रविचारी नं. 1 व 2 ने उपस्थित
न्यायालय होकर अपना जवाब दला जसिमे वकील पेश किया।
नाउ एवम में जवाब डादा के क्षमर पर क्लि 5 तनकीयत काम
की गरी तत्पश्चात पनायली लाइन्स गरी के गिरह की गरी क्षमर
में वकील वाडीगण ने वापस तथा छिगा के शपथ पत्र पेश किये।
इन्तवेली लाइन्स में नवल जमखंडी संवत् 2063-2066 एवं 2068-
2066-2069 पेश की है। वकील प्रविचारीगण वाडीगण से गिरह
करना नहीं चाहते है तथा डादा वाडीगण प्राप्तियु डिही किये
जाने हेतु लखत है। बहस वकील उच्च पक्षकारण कुनी गरी

अतः डादा वाडीगण प्राप्तियु डिही किया
जाकर शान कशापुर हलील कोर्ट के सं नं. 426, 427, 637/2,
649, 652, 706, 707, 708, 709, 710/2, 711, 856, 857, 864 तथा
शाम कपुर सेठि एत हलील कोर्ट में सं नं. 812, 7
में ले हिल्ल 1/4 वाडीगण को, प्रविचारी नं. 1 व 2 को हिल्ल 1/4 का
तथा प्रविचारी नं. 3 व 4 को हिल्ल 1/4 का प्रत्येक पृथक खरेदार
का शक्य क्षेत्र किया जाता है। वाडीगण डादा एवम के शपथपत्रों
के क्षमका किली स्वतंत्र गवाह का शपथपत्र पेश नहीं किया है इसलिए
वाडीगण के कर्तव्य कर्तव्य के आदेश उच्च करना स्थापित नहीं है। फलतः
वाडी डादा पाहा डादा हमारी निवेद्याडा का अनुलोष खारिज किया
जाता है।

अगरजी विवादित के अंतरा हेतु तस्सीलडा कोर्ट
को 3001 फील पर बीफा कमीशनर निडुल किया जाता है।
तस्तीर जारी है कि फील वमीशर वाडीगण से गिरह कर उच्च
पक्षकारण की मीमू रानी में वाई बीरुस एवम वाउडल अंतरा किया
जावे जिले में मानवीय राजस्व बण्डल के नियमों 18 से 21 की
पालना करते हुए अंतगण हकीम मय नबशा देल उग्रि में
जिले में प्रमेकका हिल्ल प्रसु-प्रसु संभले रशमि हा, साहित
दिनांक 22.11.12 को या इसलै पुन मिजवावे। पनायली दिनांक
22.11.12 को पेश ही।


उप जिला कलेक्टर
सपोटरा जिला-करोली